न्यायालय उपखण्ड अधिकारी भीण्डर, जिला – उदयपुर

पीठासीन अधिकारी : श्रीमती मोनिका जाखड़ R.A.S.

GCMS प्रकरण संख्या 2022/218

प्रकरण संख्या 129/22

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 भू. राजस्व अधिनियम 1956

अनवान

श्री ओमप्रकाश सिंह बनाम तहसीलदार भीण्डर

–: : निर्णय : :–

दिनांक :– 30.01.2023

1. प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 का पेश कर निवेदन किया की राजस्व ग्राम वरणी पटवार हल्का वरणी तहसील भीण्डर की जमाबंदी संवत् 2078–81 के खाता संख्या नया 68 में प्रार्थी का नाम ओम प्रकाश पुत्र अभयसिंह राजपूत दर्ज है जबकि प्रार्थी का वास्तविक नाम ओमप्रकाश सिंह पिता अभयसिंह राजपूत है जिसे संशोधित किये जाने का निवेदन किया।

2. पत्रावली दर्ज रजिस्टर कर विपक्षी को जरिये नोटिस तलब किया गया। प्रकरण में तहसीलदार भीण्डर द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत की गई जो इस प्रकार है कि :–

   I. यह कि राजस्व ग्राम वरणी जमाबंदी संवत् 2078–81 के खाता संख्या 68 में नाम ओमप्रकाश पुत्र अभयसिंह राजपुत दर्ज है जबकि अन्य दस्तावेज आधार कार्ड, ड्राईविंग लाईसेन्स में ओमप्रकाश सिंह पिता अभयसिंह राजपुत दर्ज है।

   II. यह कि प्रार्थी द्वारा शपथ पत्र की फॉटोकॉपी एवं ग्राम पंचायत धारता का प्रमाण पत्र की फॉटोकॉपी प्रस्तुत की गयी जिसमें ओमप्रकाश एवं ओमप्रकाश सिंह राजपुत दोनो एक ही आदमी होना बताया गया है। तहसीलदार भीण्डर द्वारा प्रार्थी की भूमि भीम का खेडा ग्राम पंचायत धारता, तहसील कानोड होना बताया जिसमें नाम संशोधन का प्रकरण श्रीमान् के न्यायालय में विचाराधीन होना बताया।

3. हमने पत्रावली का अवलोकन किया। दस्तावेज का अध्ययन किया। प्रकरण में प्रार्थी की बहस को सुना। प्रार्थी के कथनानुसार राजस्व ग्राम वरणी पटवार हल्का वरणी तहसील भीण्डर की जमाबंदी संवत् 2078–81 के खाता संख्या नया 68 में प्रार्थी का नाम ओमप्रकाश पिता अभयसिंह राजपूत दर्ज है जबकि प्रार्थी का वास्तविक नाम ओमप्रकाश सिंह पिता अभयसिंह राजपूत है जिसे संशोधित किये जाने का निवेदन किया। हमने प्रार्थी की बहस पर मनन किया। प्रकरण में तहसीलदार भीण्डर की रिपोर्ट के अध्ययन से यह पाया की प्रार्थी द्वारा शपथ पत्र की फॉटोकॉपी एवं ग्राम पंचायत धारता का प्रमाण पत्र की फॉटोकॉपी प्रस्तुत की गयी जिसमें ओमप्रकाश एवं ओमप्रकाश सिंह राजपुत दोनो एक ही आदमी होना बताया गया है। तहसीलदार भीण्डर द्वारा प्रार्थी की भूमि

Signature Not Verified
Digitally signed by Monika Jakhar
Date: 2023.07.05 12:50:04 IST
Reason: SelfAttested

भीम का खेडा तहसील कानोड में होना बता कर अन्य प्रार्थना पत्र नाम संशोधन हेतु न्यायालय हाजा में विचाराधिन होना बताया। प्रकरण में प्रार्थी के अन्य प्रार्थना पत्र प्रकरण संख्या 130/22 अनवान ओमप्रकाश सिंह बनाम तहसीलदार कानोड की पत्रावली को देखने से यह पाया कि उक्त प्रकरण दिनांक 12.11.2022 को स्वीकार किया जा चुका है जिसमें प्रार्थी का नाम ओमप्रकाश के बजाय ओमप्रकाश सिंह संशोधित किये जाने के आदेश दिये जा चुके है। उक्त प्रकरण 130/22 में तहसीलदार कानोड की रिपोर्ट के अध्ययन से यह पाया कि प्रार्थी के सभी दस्तावेजो में प्रार्थी का नाम ओमप्रकाश सिंह पिता अभयसिह राजपूत दर्ज है तथा प्रार्थी को गांव एवं सामाजिक स्तर पर भी ओमप्रकाश सिंह पिता अभयसिंह राजपूत के नाम से ही जाना जाता है। तहसीलदार कानोड द्वारा प्रार्थी का नाम ओमप्रकाश पिता अभयसिंह राजपूत के बजाय ओमप्रकाश सिंह पिता अभयसिंह राजपूत संशोधित किये जाने की अनुशंषा की गई। प्रार्थी द्वारा अपने प्रार्थना पत्र के समर्थन में सह खातेदारों का सहमती पत्र, आधार कार्ड की प्रति, ड्राईविंग लाईसेंस की प्रति, पेन कार्ड की प्रति, शपथ पत्र, शैक्षणिक दस्तावेंज की प्रति व कार्यालय ग्राम पंचायत धारता का प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जिसमें प्रमाणित किया गया कि ओमप्रकाश पिता अभयसिंह राजपूत एवं ओमप्रकाश सिंह पिता अभयसिंह राजपूत निवासी भीम का खेडा के है तथा प्रार्थी को उक्त दोनो नामों से जाना जाता है तथा भली प्रकार से जानना बताया।

4. अतः उपरोक्त विवेचन व तहसीलदार भीण्डर की रिपोर्ट व प्रकरण संख्या 130/22 अनवान ओमप्रकाश सिंह बनाम तहसीलदार कानोड निर्णय दिनांक 12.112022 एवं प्रार्थी द्वारा पेश दस्तावेज के आधार पर यह पाया गया कि प्रार्थी का वास्तविक नाम ओमप्रकाश सिंह पिता अभयसिंह राजपूत है जिसे कार्यालय ग्राम पंचायत धारता द्वारा भी प्रमाणित किया गया है। ओमप्रकाश पिता अभयसिंह राजपूत व ओमप्रकाश सिंह पिता अभयसिंह राजपूत एक ही व्यक्ति के नाम है। प्रार्थी के दस्तावेजो में ओमप्रकाश सिंह पिता अभयसिंह है जबकि राजस्व रेकर्ड में ओमप्रकाश पिता अभयसिंह राजपूत दर्ज है जिससे प्रार्थी को असुविधा हो रही है जिसे न्यायहित में सुधारा जाना आवश्यक है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य पाया जाता है।

—: : आदेश : :—

परिणामस्वरूप प्रार्थी का प्रार्थना पत्र धारा 136 भू–राजस्व अधिनियम का स्वीकार किया जाता है कि मौजा वरणी पटवार हल्का वरणी तहसील भीण्डर की जमाबंदी संवत् 2078–81 के खाता संख्या नया 68 में प्रार्थी का नाम ओमप्रकाश पुत्र अभयसिंह राजपूत के बजाय ओमप्रकाश सिंह पुत्र अभयसिंह राजपूत संशोधित किये जाने के आदेश दिये जाते है। प्रकरण में पालना हेतु तहसीलदार भीण्डर को लिखा जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

Signature Not Verified
Digitally signed by Monika Jakhar
Date: 2023.07.05 12:50:04 IST
Reason: SelfAttested

निर्णय दिनांक 30.01.2023 को खुले ईजलास सुनाया गया।